I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB KARNAL **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 02/05/2022 20:09 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	177
3	IPC 1860	181
4	IPC 1860	417
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/05/2022 **Time (समय):** 19:33 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date and Time (दिनांक और समय):** 02/05/2022 19:33 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-WEST, 100 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): Sunderpur Jind,Sunderpur Jind

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** saroj bala

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 21/11/1966 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	cahndani gate, MATLAUDA, PANIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	cahndani gate, MATLAUDA, PANIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9466651526

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुशील कुमार प्रधान समिति			1. सुन्दर पुरा,JIND,HARYANA,INDIA
2	श्री रामकुमार उप प्रधान			1. सुन्दरपुरा,JIND,HARYANA,INDIA
3	सतपाल प्रबंधक			1. सुन्द्रपुरा,JIND,HARYANA,INDIA
4	कृष्ण कुमार			1. सुन्द्रपुरा,JIND,HARYANA,INDIA
5	सुरेश कुमार			1. सुन्दरपुरा नरवाना,JIND,HARYANA,INDIA
6	सतीश कुमार			1. नरवाना,JIND,HARYANA,INDIA
7	अजीत दलाल			1. नरवाना,JIND,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

थाना स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल । श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 03 दिनांक 05.04.2016 हिसार, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 49/16/2016-4 चौकसी दिनांक 29.03.2016 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठाकन क्रमांक 4405/I-3/रा0चौ0ब्यूरो0(ह0) पंचकुला दिनांक 08.04.2016 के अनुसार पड़ताल हेतू रा0चौ0ब्यूरो0 हिसार में प्राप्त हुई थी। जिसमें सरकार द्वारा श्री बालाजी एम.पी.एच.डब्ल्यु (मेल) ट्रेनिंग स्कूल सुंदरपुरा जिला जीन्द व 13 अन्य एम.पी.एस.डब्लयु. (मेल) ट्रेनिंग स्कूलो की वर्ष 2014 व वर्ष 2015 में किये गये निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्टो में काफी अन्तर (Glaring Differences) पाये जाने बारे आरोप की पड़ताल की जानी थी। जांच के दौरान प्राप्त किये गये रिकार्ड व कथनो से पाया गया है कि श्रीबाला जी शिक्षा समिति सुन्दरपुरा, नरवाना (जीन्द) के नाम प्रलेख नंबर 3084 दिनांक 22.09.2004 अनुसार 21 कनाल 12 मरले जमीन वाका मौजा दबलैन तहसील नरवाना 25 वर्ष के लिये पट्टे पर ली जानी पाई गई तथा शिक्षा समिति के नाम से एक मिडल.स्कूल (श्री बाला जी पब्लिक स्कूल) गांव सुन्दरपुरा में शिक्षा समिति द्वारा चलाया गया था। उक्त स्कूल किराये की आवासीय बिल्डिंग में चलाया गया था। सरकार द्वारा एम.पी.एच.डब्ल्यु (मेल) टेनिंग स्कूल खोलने के लिये नई पोलिसी के तहत दिनांक 17.07.2014 को अधिसुचना जारी की गई। श्री बाला जी शिक्षा समिति के खजानची कृष्ण कुमार व समिति के अन्य सदस्यो द्वारा पुर्व योजना के तहत श्री बाला जी एम.पी.एच.डब्ल्यु (मेल) टेनिंग स्कूल खोलने बारे प्रस्ताव पारित किया गया व खजानंची कृष्ण कुमार द्वारा श्री बाला शिक्षा समिति सुन्दरपुरा नरवाना के नाम चालाकी से फायर सेफटी सर्टीफिकेट व अन्य सर्टीफिकेट तैयार करवाकर तथा बतौर अंडरटेकिंग झुठे शपथ पत्र पेश करके अपनी संस्था के नाम LOI जारी करवाने में सफल रहा। संस्था के नाम LOI जारी किये जाने में सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जानी पाई गई है। क्योंकि संस्था के नाम 21 कनाल 12 मरले जमीन गांव दबलैन की दिखाई गई है तथा प्रस्तावित श्री बाला

जी.एम.पी.एच.डब्ल्यु (मेल) टेनिंग स्कूल गांव सुन्दरपुरा के पते पर दर्शाया गया है तथा रिकार्ड में केवल जमीन के सम्बन्ध में एक्स सिजरा लगाया गया। बिल्डिंग बारे मास्टर प्लान व बिल्डिंग प्लान तथा बिल्डिंग के कम्पलीशन प्रमाण पत्र जमा नही करवाये गये। केवल समिति के खजानंची द्वारा बतौर अंडरटेकिंग दिये गये झुठे शपथ पत्रो को देखते हुये ही LOI जारी की गई। जांच में पाया गया कि DGMER पंचकुला द्वारा गठित निरीक्षण कमेटी को भी निरीक्षण के समय जान बुझकर धोखा देकर गांव धरौदी जिला जीन्द के न्यु भारत सिनियर सैकेण्डरी स्कूल धरौदी की बिल्डिंग में ले जाकर निरीक्षण करवाया गया तथा निरीक्षण कमेटी के आने से पहले ही लैब से सम्बन्धित समान व अन्य फर्नीचर न्यु भारत सिनियर सैकेण्डरी स्कूल धरौदी की बिल्डिंग में रखवाया गया। उक्त स्कूल की बिल्डिंग के बाहरी मैन गेट पर व अन्दर बिल्डिंग के सामने की दीवार पर व बिल्डिंग के अन्दर अन्य जगहो पर, "श्री बाला जी शिक्षा समिति सुन्दरपुरा नवाना जीन्द हरियाणा सम्पर्क नंबर 94161-76227, 01684-245688 फैक्स नं0 01684-241299, E-Mail: sbssamitinrw@yahoo.com" के होर्डिग/बैनर लगाये गये थे जो प्रथम निरीक्षण कमेटी द्वारा खिंचे गये फोटो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे है।

जांच के दौरान न्यु भारत सिनीयर सैकेण्डरी स्कूल धरौदी के प्रिसीपल सतीश ने अपने कथन में स्कूल की बिल्डिंग को तो अपना माना है। लेकिन स्कूल में रखे मैडीकल से सम्बन्धित सामान को अपना नही माना तथा बाहर से आई निरीक्षण कमेटी द्वारा करीब दो-तीन घण्टे बिल्डिंग का निरीक्षण करके वापिस चले जाना और स्कूल के प्रबंधन को उनके स्कूल में हो रही उपरोक्त गतिविधियो का पता ना लगना ऐसा संभव नही है। जांच के दौरान श्री बाला जी शिक्षा समिति सुन्दरपुरा नरवाना जीन्द व न्यु भारत शिक्षा समिति नरवाना के प्रबंधको व सदस्यो की आपसी मिलीभगत व धोखाधड़ी से प्रथम निरीक्षण कमेटी के अधिकारीगण को धोखे में रखकर श्री बाला जी शिक्षा समिति सुन्दरपुरा स्कुल की बिल्डिंग जो कही पर भी नही थी की बजाये न्यु भारत सिनियर सैकेण्डरी स्कूल धरौदी की बिल्डिंग को श्री बाला जी शिक्षा समिति सुन्दरपुरा नरवाना जीन्द की बिल्डिंग बनाकर निरीक्षण करवाया जाना पाया गया हैं। जांच के दौरान पाया गया कि प्रथम निरीक्षण कमेटी में शामिल डा0 मालती DY Director O/o चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान, मिथलेश मोहन रिटार्यर्ड सचिव हरियाणा सरकार चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान विभाग द्वारा अपने कथनो मे स्पष्ट किया है कि श्री बाला जी शिक्षा समिति के सदस्यो द्वारा शुरू से ही विभाग में गलत व झुठे दस्तावेज जमा करवाये गये एंव विभाग को व निरीक्षण कमेटी को जानबुझकर गुमराह किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि डा0 राजकुमार सिंगला ने भी अपने कथन में अंकित करवाया है कि उनके साथ श्री बाला जी शिक्षा समिति स्कूल प्रबंधक द्वारा धोखा किया गया है। उसके द्वारा हस्ताक्षरशुदा एक प्रदुषण प्रमाण पत्र जारी किया गया दिखाया गया जो आपकी फाईल के साथ आज उसने देख लिया है जिस पर उसके हस्ताक्षरो का मिलान करके हस्ताक्षर किये गये लगते है। यह उसके हस्ताक्षर नही है। उसके हस्ताक्षर पंचकुला की टीम द्वारा तैयार की गई इन्सपैक्शन रिपोर्ट पर मोजुद है। मिलान किया जा सकता है। जिससे स्पष्ट है कि कृष्ण कुमार खजानचीं द्वारा प्रदुषण प्रमाण पत्र जाली बनवाया गया है तथा इसी प्रकार DGMER पंचकुला को जमा करवाये गये अन्य प्रमाण पत्र भी सन्देहजनक लगते है। जांच के दौरान पाया गया कि अग्निशमन प्रमाण पत्र श्री बाला जी शिक्षा समिति गांव सुन्दरपुरा नरवाना के नाम बनाया गया। श्री बालाजी शिक्षा समिति के खजानंची कृष्ण कुमार द्वारा भी अपने कथन में माना है कि उन्होने धरौदी गांव की बिल्डिंग प्रथम निरीक्षण कमैटी को चैक करवाई थी। भारत सिनियर सैकेण्डरी स्कूल धरौदी के प्रिंसीपल सतीश कुमार ने भी अपने कथनो में माना है कि फोटो में दिखाई दे रही बिल्डिग उनके भारत सिनियर सैकेण्डरी स्कूल की बिल्डिंग ही है जो उसने पहचान ली है। प्रथम निरीक्षण कमेटी के अधिकारी डा0 मालती Representative of DMER व श्रीमती मिथलेश मोहन डिप्टी सैक्टरी पंचकुला, डा0 आर.के. सिंगला SMO नरवाना को गांव सुन्दरपुरा, दबलैन व धरौदी के ग्रामीण एरिया का ज्ञान नही था तथा निरीक्षण कमेटी के साथ कोई लोकल व्यक्ति नही लगाया गया. जिस कारण श्री बाला जी शिक्षा समिति सुन्दरपुरा प्रथम निरीक्षण कमैटी के अधिकारियो को धोखा देकर भारत सिनियर सैकेण्डरी स्कूल धरौदी की बिलिडंग का निरीक्षण करवाने में सफल रहे। यदि राजस्व विभाग से कर्मचारी/अधिकारी टीम के साथ लगाया गया होता तो यह मामला प्रथम निरीक्षण के दौरान ही संज्ञान में आ सकता था। प्रथम निरीक्षण कमेटी के अधिकारियो की श्री बाला जी शिक्षा समिति सुन्दरपुरा से मिलीभगत रही हो बारे कोई सबूत फाईल पर नही आये। जाचं की पड़ताल के दौरान पाया गया कि जिन स्कूलो का आधारभूत सरंचना (इनफ्रास्टक्चर) सरकार के मानदण्डो अनुसार लगभग पूरा था उन सभी 13 संस्थानो द्वारा माननीय पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट चण्डीगढ़ में विद्यार्थियो के दाखिले की अनुमति के लिये याचिकाएं दायर की थी। माननीय उच्च न्यायलय ने CWP 16723, 16734, 17082, 17112 of 2015 का निपटान करते हुये दिनांक 26.08.2015 को DGMER पंचकुला को निर्देश दिये कि सभी संस्थानो का दोबारा निरीक्षण करवाया जाये। जांच के दौरान पाया गया कि दोबारा निरीक्षण किये जाने बारे श्री बाला जी शिक्षा समिति सुनदरपुरा नरवाना जीन्द को पता चलने पर ही शिक्षा समिति द्वारा एक प्रस्ताव दिनांक 04.09.2015 को पारित किया गया जिसमें लिखा गया कि "समिति के सदस्यो के विचार विमर्श के बाद अन्त में निर्णय लिया गया कि समिति जहां पर नरवाना क्षेत्र सुन्दरपुरा में M.P.H.W. (M) कोर्स चलाना चाहती है। उसके आसपास 20 किलोमीटर के एरिया में कई M.P.H.W. (M) स्कूल नऐ खुल गये है और कुछ स्कूल पहले से ही कार्यरत है। इसलिये दाखिले मे छात्रो के अभाव में स्कूल चलाना संभव नही है। अंत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि DGMER द्वारा जारी की गई LOP जमा करवाकर इस कोर्स की 60 सीटो की एन.ओ.सी. कैन्सल करवाकर अपनी 25 लाख की एफ.डी.आर. लेने के लिये हैल्थ विभाग का निर्णय सर्व सम्मति से पारति कर दिया। यह झुठा प्रस्ताव भी समिति द्वारा इसलिए पारित किया गया कि संस्थान का दोबारा निरीक्षण होने में उनके द्वारा जानबुझकर की गई जालसाजी, धोखाधड़ी का पर्दाफास हो सकता है। इसलिये समिति के रैफ नंबर SBN/86/2015 दिनांक 04.09.2015 के अनुसार समिति ने एक दरखास्त प्रधान सचिव चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान विभाग हरियाणा के कार्यालय में एल.ओ.पी. केन्सिल करने बारे दी परन्तु यह भी सत्य है कि श्री बाला जी शिक्षा समिति सुन्दरपुरा नरवाना जीन्द द्वारा की गई जालसाजी, धोखाधड़ी से सरकार को किसी प्रकार के राजस्व की हानी होनी नही पाई गई। केवल श्री बाला जी एम.पी.एच.डब्ल्यु (मेल) टैनिंग स्कूल सुन्दरपुरा नरवाना जीन्द की प्रथम निरीक्षण कमेटी व दूसरी निरीक्षण कमेटी की निरीक्षण रिपोर्टो में गम्भीर अन्तर पाया गया है जो श्री बाला जी शिक्षा समिति सुन्दरपुरा नरवाना के सदस्यो जिसमें सुशील कुमार प्रधान समिति, रामकुमार उप प्रधान, प्रबंधक सतपाल, खजानची कृष्ण कुमार, सुरेश कुमार तथा न्यु भारत ऐजुकेशन सोसाईटी नरवाना के सचिव सतीश कुमार व अजीत दलाल चैयरमैन भारत ऐजुकेशन सौसाईटी नरवाना के सदस्यो ने आपास में मिलीभगत करके प्रथम निरीक्षण कमेटी के अधिकारीगण को गुमराह करके जालसाजी व धोखाधड़ी करके अपनी संस्था के नाम LOI व LOP लेने में सफल रहे। जो उपरोक्त सभी सुशील कुमार प्रधान समिति श्री बाला जी शिक्षा समिति सुन्दरपुरा नरवाना रामकुमार उप प्रधान प्रबंधक सतपाल, खजानंची कृष्ण कुमार, सुरेश कुमार तथा न्यु भारत ऐजुकेशन सोसाईटी नरवाना के सचिव सतीश कुमार व अजीत दलाल चैयरमैन भारत ऐजुकेशन सोसाईटी नरवाना के खिलाफ धारा 177,181,417ख,120-बी भा0द0स0 का अपराध बनता है। जांच की अन्तिम रिपोर्ट उप पुलिस महानिरीक्षक रा0चौ0ब्यरो0 हिसार मण्डल हिसार के क्रमांक 2552/रा0चौ0ब्यूरो हिसार दिनांक 18.11.2021 द्वारा मुख्यालय रा0चौ0ब्यूरो0 (ह0) पंचकुला भेजी गई थी जो महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो0 (ह0) पंचकुला के पत्र क्रमांक 19935/आई-3/रा0चौ0ब्यूरो0 (ह0) पंचकुला दिनांक 31.12.21 द्वारा मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग, चण्डीगढ़ को भेजी गई। जांच रिपोर्ट

से सहमत होते हुये मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 49/16/2016-4 चौ-1 दिनांक 25.03.2022 व महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो (ह0) पचंकुला के पत्र क्रमांक 6532/I-3/SVB (H) Dated 25.04.2022 की अनुपालना मे श्री बालाजी शिक्षा समिति सुन्दरपुरा नरवाना के सदस्य सुशील कुमार प्रधान समिति, श्री रामकुमार उप प्रधान, सतपाल प्रबंधक, खजानंची कृष्ण कुमार, सुरेश कुमार तथा न्यु भारत ऐजुकेशन सोसाईटी नरवाना के सचिव श्री सतीश कुमार व श्री अजीत दलाल चैयरमैन के विरूद्ध धारा 177, 181, 417, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 के तहत अभियोग दर्ज रजिस्टर किया जा रहा है । Sd Sarojbala(सरोज बाला) निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल। दिनांक 02.05.2022 अज थाना:- उपरोक्त तहरीर पर कायमी मुकदमा नं0 08 दिनाँक 02.05.2022 धारा 177, 181, 417, 468, 471, 120B IPC थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब जीन्द को बजरियां E-Mail सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी अनुसन्धान हेतू निज्द निरीक्षक मनीष कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो उप-केन्द्र जीन्द के बदस्त ई0 मुख्य सिपाही प्रवीण कुमार न0 949/पानीपत के भेजी जा रही है । उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से मन निरीक्षक की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** saroj bala **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 12ppt **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Saroj Bala
Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

Name (नाम): SAROJ BALA
Rank (पद): INSP
No. (सं.): 12/PPT

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	29/10/1968				Is pox pitted: Yes
2	Male	13/06/1984				Is pox pitted: Yes
3	Male	05/02/1969				Is pox pitted: Yes
4	Male	14/08/1976				Is pox pitted: Yes
5	Male	28/01/1970				Is pox pitted: Yes
6	Male	27/01/1970				Is pox pitted: Yes
7	Male	15/07/1965				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

थाना स्टेट विजीलैंस ब्यूरो हरियाणा ★ करनाल मण्डल, करनाल ★

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)